

सेवा में,

निदेशक, नेशनल ग्रामर इन्फ्रस्ट्रक्चर कल्याणपुर कानपुर 30501

CP10
24/11/16

गुंगाराम तिवारी आयु लगभग 60 साल पुत्रश्री राजकिशोर निवासी ग्राम जमउपर तहसील टाण्डा विकास खण्ड बखारि जनपद अम्बेकरनगर ----- प्राथी

प्राथी पत्र अन्तर्गत धारा-6 ए। जनसूचना अधिकांश अधिनियम-2005

श्रीमानजी,

प्राथी निर्धारित न्यायशुल्क जमा करते हुए निम्नलिखित सूचनाएं मोंगरहा है:-

- 1 यहकि क्या जिवाराम तिवारी पुत्र राजकिशोर तिवारी निजमउपर त0टाण्डा विकास खण्ड बखारि जनपद अम्बेकरनगर उक्त संस्थान मे वर्ष 1970 से चौकोदार के पद पर कब से कब तक सेवा मे रहे ?
- 2 यहकि क्या उक्त जिवाराम तिवारी पुत्र राजकिशोर तिवारी द्वारा अपने सप्ली बुक मे अपने विवाहित होने का उल्लेख किया है सप्ली बुक मे उल्लिखित उत्तराधिकारियो यदि कोई नामनी हो तो उसको छायाप्रति उपलब्ध कराये ?
- 3 यहकि क्या उक्त जिवाराम तिवारी चौकोदार द्वारा स्वयं नौकरी से सम्बन्धित अभिलेख मे फिकादेवी का नाम अथावा किसी अन्य पत्नी का उल्लेख किया गया है तो अभिलेख को छायाप्रति उपलब्ध कराये ?
- 4 यहकि प्राथी उक्त जिवाराम चौकोदार का सगा भाई है और उपरोक्त विषयसूचना जनसूचना अधिकांश अधिनियम मे वर्णित प्राविधान के अन्तर्गत न्याय शुल्क जमा करते हुए मोंग रहा है ?
- 5 यहकि प्राथी द्वारा इस प्राथीपत्र के पूर्व दिनांक 25-11-01 को भी जन सूचना अधिनियम धारा-6एके अन्तर्गत सूचना प्राथी द्वारा मोंगी गयी थी परन्तु अधिनियम मे वर्णित समयवधि के अन्तर्गत सूचना प्राथी को आज तक उपरोक्त सूचना नही दी गयी ।
- 6 यहकि प्राथी पुनः यह अनुस्मारक । Reminder । प्राथी पत्र महोदय के समक्ष उपरोक्त विषयक सूचना हेतु प्रस्तुत कर रहा है । बिना जा रडाई ।

अतः श्रीमानजी से निवेदन हैकि उपरोक्त विषयक सूचना जन सूचना

अधिकार अधिनियम मे वर्णित प्राविधान के अन्तर्गत निर्धारित समयवधि मे उपलब्ध कराये, अन्यथा प्राथी राज्य सूचना आयोग मे अपील हेतु बाध्य होगा ।

दिनांक 12/11/16

प्राथी

नोट:

दि. 25/11/16 को कोलारि.
राजकिशोर तिवारी प्राथी प्रार्थना
64 R.T. 5. MC प्रार्थना आदि ही
दस्तावेज संलग्न है

गुंगाराम तिवारी पुत्र श्री राजकिशोर
निवासी ग्राम जमउपर तहसील टाण्डा
विकासखण्ड बखारि, अम्बेकरनगर

संलग्न प्रार्थना आदि प्रमाण
दस्तावेज संलग्न है
अतः प्राथी बाध्य होगा

अभिमान

18/11/17

22/11/16
Deposited with
T.R. NO. 293248 dt. 24.11.16
24/11/16

CAPIC
Subject
Form No. 10
17/11/16

सं.- 25(52)/2016/ RTI/ 70

राष्ट्रीय शर्करा संस्थान

आई.एस.ओ. 9001:2015 प्रमाणित संस्थान
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग
भारत सरकार

फोन- 2570541, 542
फैक्स- 0512-2570247

कानपुर, दिनांक-23.02.2017

सेवा में,

श्री गंगा राम तिवारी पुत्र श्री राजकिशोर,
निवासी ग्राम - जमऊपुर तहसील टाण्डा,
विकास खण्ड बसखारी,
जनपद- अम्बेडकरनगर।

जारी

संख्या - 564 - 4-45 P.m.

दिनांक - 03/23/17

विषय- जनसूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत श्री गंगा राम तिवारी द्वारा मांगी गयी सूचना के संबंध में।


महोदय,

आपके द्वारा प्राप्त आवेदन दिनांक 17.01.2017 के सम्बन्ध में आपको सूचित किया जाता है कि " Information available to a person in his fiduciary relationship, unless the competent authority is satisfied that the larger public interest warrants the disclosure of such information; and information which relates to personal information the disclosure of which has not relationship to any public activity or interest, or which would cause unwarranted invasion of the privacy of the individual unless the Central Public Information Officer or the State Public Information Officer or the appellate authority, as the case may be, is satisfied that the larger public interest justifies the disclosure of such information."

आपको यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप उपरोक्त दी गई सूचना से संतुष्ट नहीं हैं तो ऐसी स्थिति में आप इस पत्र के जारी करने से 30 दिन के भीतर प्रथम अपीलीय अधिकारी को निम्नलिखित पते पर अपील कर सकते हैं -

श्री नरेन्द्र मोहन,
निदेशक एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी,
राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, भारत सरकार,
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय,
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग,
कानपुर- 208017

भवदीय


23/2/17

(जितेंद्र सिंह)

स. आ. श. प्रौ.,

वरि. प्रशा. अधिकारी एवं
केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी

etc